डीजी-परिपत्र संख्या-49/2023

विजय कुमार
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकः नवम्बर 18, 2023

विषयः- महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों के त्वरित एवं गुणवत्तापरक विवेचनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप सभी अवगत है कि महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियो के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं विवेचनाओं का गुणवत्तापरक निस्तारण पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार के घटित होने वाले अपराधों की प्रभावी रोकथाम और इनकी विवेचनाओं में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

डीजी परिपत्र 16/13 दिनांक 29.04.2013
डीजी परिपत्र 38/14 दिनांक 07.06.2014
डीजी परिपत्र 20/16 दिनांक 13.04.2016
डीजी परिपत्र 40/16 दिनांक 17.07.2016
डीजी परिपत्र 09/17 दिनांक 07.04.2017
डीजी परिपत्र 17/17 दिनांक 18.07.2017
डीजी परिपत्र 27/17 दिनांक 18.08.2017
डीजी परिपत्र 16/18 दिनांक 21.04.2018
डीजी परिपत्र 35/18 दिनांक 05.07.2018
डीजी परिपत्र 28/21 दिनांक 19.08.2021
डीजी परिपत्र 36/21 दिनांक 23.09.2021
डीजी परिपत्र 12/22 दिनांक 25.05.2022
डीजी परिपत्र 31/22 दिनांक 22.09.2022
डीजी परिपत्र 27/90 दिनांक 04.07.1990
डीजी परिपत्र 24/95 दिनांक 05.06.1995
डीजी परिपत्र 45/05 दिनांक 09.09.2005

आप सहमत होंगे कि महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, एसिड अटैक, अपहरण, छेडखानी आदि में पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिन्ह् लगते हैं एवं आम नागरिकों के समक्ष पुलिस की प्रतिकूल छवि बनती है तथा मीडिया एवं मा0 न्यायालय में आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट आदि जैसी योजनाएं प्रचलित हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु आप सभी की इस क्रियात्मक भूमिका में और अधिक सक्रियता की आवश्यकता है ।

विवेचनाएं त्रुटिरहित तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर उपयोगी और महत्वपूर्ण परिपत्र आप सभी के अनुपालनार्थ प्रेषित किये गये हैं, उनका सम्यकरूप से अनुपालन किया जाय। विवेचनाएं तथ्यपरक हों तथा इसमें वैज्ञानिक विधियों का समावेश किया जाय, जिससे विवेचना गुणात्मक सुधार आयेगा और अपराधियों को मा0 न्यायालय में दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ने के साथ ही अपराधों पर नियन्त्रण भी होगा ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियो के उत्पीड़न के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से घटित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 बनाया गया है एवं इस अधिनियम के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम-1995 प्राख्यापित किया गया है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपराधों की विवेचना एवं निस्तारण के संबंध में परिपत्रों के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार रोकने, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा उनके विरूद्ध घटित उत्पीड़न की घटनाओं पर निर्धारित वैधानिक कार्यवाही सम्पन्न करना हम सबका दायित्व है। आप स्वंय अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से करें और यह भी सुनिश्चित करें कि इस हेतु प्रभावी कार्यवाही करने में किसी प्रकार की उदासीनता आपके अधीनस्थों द्वारा न बरती जाय ।

मैं चाहूँगा कि आप मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्रों एवं इस परिपत्र में इंगित बिन्दुओं का निकटता से अध्ययन कर लें तथा इन निर्देशों का समुचित पालन आपके एवं आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाये। इस संबंध मे किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाय यदि इन निर्देशों का अनुपालन करने में किसी प्रकार लापरवाही संज्ञान में आती है तो उसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(विजय कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(विशेष जॉच), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।